तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
29.10.21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प ग्राम भादू मे पेश हुई, पटवार हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट पेश हुई जिसे शा-प किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा-प किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:26:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 25/21 प्रा॰पत्र

1- श्रीमती कस्तुरी W/O श्री प्रताप गुर्जर निवासी आमलीखेड़ा तह मांडल (भील॰) --प्रार्थी

बनाम

1- श्री भंवरदास S/O श्री रोशनदास बैरागी निवासी आमलीखेड़ा तह मांडल (भील॰) --विपक्षीगण (सहखातेदार/ पड़ौसी कृषक)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक 29.10.21

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.......आमलीखेड़ा.......पटवार हल्का.......डोगरास.......तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं.......720/596.......कुल किता ....01....... रकबा.......1.2646 हेक्टेयर.......—.......स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.......11.2.21.......को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का अधिकारी है ।वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है ।अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.......आमलीखेड़ा....... पटवार हल्का.......डोगरास.......तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.......720/596....... ....रकबा.......1.2646.......हेक्टेयर....... ....कुल किता ....01....... भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.......कुवाड़िया.......को ....500/-......./- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है ।कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल खड़ी होने पर .... नहीं की जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:26:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि .... कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021